प्रेस नोट

30.09.2019

थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। थाना घोसी पुलिस द्वारा दिनांक 29.09.19 को देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बैरासी तिराहा से दिनेश राजभर पुत्र रामअवध राजभर निवासी खैरा मुहम्मदपुर थाना घोसी मऊ के कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 416/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 06 व्यक्ति व 03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 30.09.19 को थाना **दोहरीघाट पुलिस** द्वारा अमिताभ बच्चन पुत्र फुलबदन निवासी मोहम्मदाबाद सिपाह थाना दोहरीघाट, थाना **मुहम्मदाबाद पुलिस** द्वारा फुलचन्द्र चौहान पुत्र स्व0 रामदेव चौहान, जंगबहादुर चौहान पुत्र रामधारी चौहान निवासीगण बड़ईपुर, रामदुलारे पुत्र स्व0 बसन्त, संदीप भारती पुत्र रामचरन निवासीगण खलिसा थाना मुहम्मदाबाद, थाना **सरायलखन्सी पुलिस** द्वारा राहुल सिंह पुत्र अरूण सिंह निवासी पखईपुर थाना सरायलखन्सी मऊ को शांति भंग की आशंका में अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी व थाना **कोपागंज पुलिस** द्वारा वारण्टी अभियुक्त कल्लू उर्फ श्याम राजभर पुत्र रामजीत राजभर निवासी सरवनपुर, रामअशीष यादव पुत्र हर्षनाथ यादव निवासी अलीपुर थाना कोपागंज, थाना **सरायलखन्सी पुलिस** द्वारा राजेश सिंह पुत्र कालिका सिंह निवासी बकवल थाना सरायलखन्सी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

MEDIA CELL MAU